# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी ( भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर०ए०एस

मुकदमा नं० 137 / 2021

1. करन सिंह
2. चरनसिंह
3. प्रेमसिंह
4. रामचरन पिसरान लालाराम जाति जाटव निवासी ग्राम भैंसेडा तहसील पहाडी (भरतपुर)

वादीगण

बनाम

1. इमरती पुत्रवधू लल्लू
2. ओमी
3. प्यारे
4. बनवारी पिसरान सरमन
5. भूरिया पत्नी लल्लू (फौत)
   5/1 चम्मो देवी पुत्री लल्लू
   5/2 शकुन्तला पुत्री लल्लू
6. लालाराम पुत्र लल्लू
7. विजय सिंह दोहित्रा लल्लू
8. सुका पुत्र सरमन
9. सुन्दर दोहित्रा लल्लू (फौत बिला औरत व बिला सन्तान) जातियान जाटव निवासीयान ग्राम भैंसेडातहसील पहाडी

प्रतिवादीगण

10. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी (भरतपुर)
11. उपपंजीयक महोदय, पहाडी (भरतपुर) राज0

फौरमल प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :- श्री शीशराम वर्मा वकील वादीगण

दिनांक :- 31/05/2022

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

## निर्णय

वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0 एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खाता संख्या 249 के खसरा नम्बर 1795/0.34, 1796/0.01,1797/0.66, किता 3 रकबा 1.01 हैक्टर एवं खाता संख्या 561 के खसरा नम्बर 1732/0.77,1733/0.27,किता–2 रकबा 1.04 हैक्टर बांके ग्राम सांवलेर तहसील पहाडी में स्थित है विवादित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सम्मलित खातेदारी की आराजी है जिसमें वादीगण अपने हिस्से पर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड काबिज रहकर मनबट के आधार पर काश्त करते चले आ रहे है आराजी मुत0 को वादीगण व प्रतिवादीगण ने जोत की सुविधा के लिये 30 साल पूर्व आपसी सहमति से बाट लिया था जिसके मुताबिक वादीगण को खाता संख्या 561 के खसरा नम्बर 1732/0.77, 1733/0.27 पर कब्जा दिया गया था और प्रतिवादीगण को आराजी खाता संख्या 249 के खसरा नम्बर 1795/0.34, 1796/0.01,1797/0.66, किता 3 रकबा 1.01 हैक्टर पर कब्जा दिया गया था चूँकि वादीगण उक्त दोनो खातों में कुल 1/2 हिस्से के खातेदार है इसलिए सबकी सहमति से वादीगण को खाता संख्या 561 के दोनो खसरा नम्बर को बंटकर दे दिया था और वादीगण 1/2 हिस्से के हिसाब से रकबा भी पूरा बैठता है और इस प्रकार मनबट के आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण अपने हिस्से पर करीब 30 साल से शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण के मनबट के आधार पर आई आराजी को काफी मेहनत करके व खर्चा करके काबिले काश्त बनाया है परन्तु अब वादीगण के मन में बदयान्ती आ गई है वादीगण ने मुताबिक अपने हिस्से की जमीन का बेचान का सौंदा दीगर लोगो को कर दिया है जिसकी ऐलानिया धमकी दिनांक 31/08/2021 को प्रतिवादीगण ने ग्राम सांवलेर में दी है। हम अपने हिस्से की जमीन को बेच रहे है तथा खरीदारान को तुम्हारे कब्जे की आराजी पर जबरन कब्जा करवा देगे क्योकि अभी कानून बंटवारा नहीं हुआ है। इसके बाद हम वादीगण ने प्रतिवादीगण से 31/08/2021 को आराजी मुतदाविया का कानूनी रूप से आपसी सहमति से बंटवारा कराने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण ने विभाजन कराने से साफ इन्कार कर दिया और धमकी दी कि हम तुम्हारे काबिज हिस्से पर खरीदारान को जबरन कब्जा दे देगे। इस प्रकार प्रतिवादीगण नये विवाद को जन्म देना चाहते है । अतः आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सम्मलित खातेदारी की आराजी है जिसमें 30 साल पूर्व मनबट के आधार पर काश्त करते चले आ रहे है वादीगण आराजी खसरा नम्बर 732/0.77, 733/0.27 पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है विधि वजह वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण मनबट के आधार पर काबिज वाले हिस्से की आराजी पर विभाजन पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये राजीनामा इस आशय का पेश किया कि प्रकरण में हम सभी पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1732/0.77, 1733/0.27 बांके ग्राम सांवलेर तहसील पहाड़ी को बंटवारे के अनुसार वादीगण को दिया गया है व आराजी खसरा नम्बर 1792/0.34, 1796/0.01, 1797/0.66 को आपसी बंटवारे के अनुसार हम प्रतिवादीगण को दिया गया है। उक्त उनवानी दावा में दर्ज भूमि को कब्जे के आधार पर व हमारे आपसी सहमति से राजीनामा के आधार पर बंटवारा डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त दावा हमारे द्वारा दी गई सहमति व राजीनामा के आधार पर डिक्री फरमाया जावे।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। पत्रावली एवं राजीनामा का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण खातेदारी भूमि के विभाजन से संबंधित है। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामा इस आशय का पेश किया कि प्रकरण में हम सभी पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1732/0.77, 1733/0.27 बांके ग्राम सांवलेर तहसील पहाड़ी को बंटवारे के अनुसार वादीगण को दिया गया है व आराजी खसरा नम्बर 1792/0.34, 1796/0.01, 1797/0.66 को आपसी बंटवारे के अनुसार हम प्रतिवादीगण को दिया गया है। परन्तु मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खसरा नम्बर 1732/0.77, 1733/0.27 में वादी संख्या 01 एवं 02 करण सिंह, चरण सिंह रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है। जबकि राजीनामा अनुसार इन खसरा नम्बर पर वादी संख्या 01 एवं 02 करण सिंह, चरण सिंह को भी खातेदारी प्राप्त होनी है। इसी प्रकार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खसरा नम्बर 1792/0.34, 1796/0.01, 1797/0.66 में वादी संख्या 03 एवं 04 प्रेम सिंह, रामधन रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिस खाते में खातेदार ही नहीं है तो वह राजीनामें के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। इस प्रकरण में राजस्व हानि की भी संभावना है। अतः राजीनामा स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0 एक्ट खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31/05/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)